


आदेश

वाद वादी तहसीलदार सूरजगढ़ के पत्रांक पत्रांक भू.अ./2020/777 दिनांक 16.03.2020 के संलग्न प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक डिक्री किया जाकर भूमि ख.न 1002, 1019, 1135, 1136 वाके मौजा सूरजगढ़ का पक्षकारान को विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार अलग-अलग खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का ही एक भाग रहेगा और प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के उक्त हिस्से में दखल अन्दाजी नहीं करें। तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह मुताबिक डिक्री राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर बाद तकमिल जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। पर्चा डिक्री मुर्तिब हो।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2021 को खुले इजलास में सुनाया गया।


(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

